N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0279 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 30/11/2024 18:22 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/11/2024 **Date To (दिनांक तक):** 29/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/11/2024 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 30/11/2024 18:22:45 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 80 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** PARIWADI KA GHAR,GRAM BHODAN, SINGHANA DISTRICT JHUNJHUNU

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MUKESH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MANIRAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1999 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GAON BHODAN,SINGHANA, SINGHANA, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GAON BHODAN,SINGHANA, SINGHANA, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMAWATAR GURJAR		पिता:LEELADHAR	1. POST GURJARVAS,GRAM TIKUPURA,BUHANA,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 26.11.2024 को परिवादी श्री मुकेश पुत्र श्री मनीराम, जाति गुर्जर, उम्र 25 साल निवासी ग्राम भोदन, जिला झुंझुनूं ने चौकी हाजा पर उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना इस आशय का पेश किया कि मै प्रार्थी मुकेश पुत्र श्री मनिराम जाति गुर्जर उम्र 25 साल निवासी भोदन जिला झुंझुनूं का रहने वाला हूं। हमारे खेत जो कि मेरे पिताजी एवं चाचाजी श्री मदनलाल का शामिलाती खाता में है उसके अन्दर दो टयूबवेल है एक टयूबवेल बिजली कनेक्शन का है एवं एक सौलर का है। कभी कभी बादल होने पर सौलर वाला टयूबवेल हम दूसरे कुए की लाईन से चलाते है। हमारे गांव का लाईनमेन रामवतार मेरे से यह धमकी देकर कि मै आपके 80000 रूपये वीसीआर की भरवा दूंगा नही तो मेरे को 10,000 रूपये देवो। इसके बाद मै वीसीआर नही भरने दूंगा। मै उक्त लाईनमेन को रिश्वत नही देना चाहता हूं। मेरी रामवतार लाईनमेन से कोई रंजिश नही है एवं ना ही कोई लेनदेन बाकी है। उचित कार्यवाही करे। पूछताछ पर श्री मुकेश ने बताया कि श्री रामावतार लाईनमैन से मेरी कोई रंजिश नही है ना ही कोई उधार लेन देन है। परिवादी श्री मुकेश द्वारा पेश रिपोर्ट से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही की जावेगी। परिवादी श्री मुकेश को आरोपी से गोपनीय सत्यापन की प्रक्रिया समझाकर गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी ने बताया कि आज तो देर हो गई है कल सुबह आप अपने कार्यालय से किसी कर्मचारी को भिजवा देना कल मै आरोपी से वार्ता कर सत्यापन करवा दूंगा। दिनांक 27-11-2024 को कार्यालय के श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40 को कार्यालय की अलमारी से डिजीटल टेप रिकॉर्डर एवं एक नया मैमोरी कार्ड लगाकर दी गई एवं मुनासिब हिदायत दी गई की परिवादी के बताये अनुसार गांव भोदन जाकर परिवादी से सम्पर्क कर आरोपी श्री रामवतार लाईनमेन ग्राम भोदन से सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु रवाना किया गया। श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40 ने जरिये मोबाईल कॉल कर अवगत कराया कि मै कार्यालय से रवाना होकर ग्राम भोदन पहूंच परिवादी से सम्पर्क कर उसके खेत में स्थित मकान पर पहूंचा। परिवादी ने बताया कि श्री रामावतार लाईनमेन के बैठने की कोई निर्धारित स्थान नही है इसलिए मै उसको फोन करके पुछता हूं कि वह कहां मिलेगा। जिस पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री रामवतार लाईनमेन के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कराया गया। परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करके डिजीटल टेप रिकॉर्डर से वार्ता रिकॉर्ड की गई। जिसमें आरोपी श्री रामवतार ने तीन बजे परिवादी के खेत पर आने की बात कही। समय करीब 2.08 पीएम पर आरोपी रामवतार परिवादी के खेत पर आया जिस पर परिवादी को डिजीटल टेप रिकॉर्डर को बंद व चालु करने की समझाईश कर एवं मैमोरी कार्ड खाली होने की पुष्टि कर जरिये फर्द सुपुर्द की गई। उसके पश्चात परिवादी ने स्वयं की एवं आरोपी श्री रामवतार की रूबरू हुई वार्ता को डिजीटल टैप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। आरोपी श्री रामवतार के जाने के बाद परिवादी से डिजीटल टेप रिकॉर्डर मैने प्राप्त कर लिया एवं उसको चलाकर सुना गया तो वार्ता में आरोपी द्वारा सात हजार रूपये रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40 एवं परिवादी श्री मुकेश उपस्थित कार्यालय आये। श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40 ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। डिजीटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्युटर एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुना गया तो श्री ईशाक मोहम्मद द्वारा जरिये फोन बताये गये तथ्यो की ताईद होती है। डिजीटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। दिनांक 28-11-2024 को परिवादी श्री मुकेश का श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल आया। परिवादी ने बताया कि मै रिश्वत में दिये जाने वाले पैसों की व्यवस्था करके आपके कार्यालय आ रहा हूं। कार्यालय के श्री राकेश कुमार कानि. 243 को उप निदेशक पशुपालन विभाग, झुंझुनूं के नाम तहरीर देकर दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। श्री राकेश कुमार कानि. 243 उप निदेशक पशुपालन विभाग, झुंझुनूं से दो स्वतंत्र गवाह डॉ. विकास लाम्बा पुत्र श्री रघुवीर सिंह लाम्बा, जाति जाट, उम्र 45 साल निवासी मकान नम्बर 4/23, हाउसिंग बोर्ड झुंझुनूं हाल पशु चिकित्सा अधिकारी बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय झुंझुनूं एवं श्री कमल मान पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह मान जाति जाट उम्र 34 साल निवासी श्याम नगर वारिसपुरा रोड, रिको जिला झुंझुनूं हाल पशुधन सहायक, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय झुंझुनूं को हमराह लेकर उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी श्री मुकेश उपस्थित कार्यालय आया। जिसका पूर्व से उपस्थित स्वतंत्र गवाह डॉ. विकास लाम्बा पुत्र श्री रघुवीर सिंह लाम्बा, जाति जाट, उम्र 45 साल निवासी मकान नम्बर 4/23, हाउसिंग बोर्ड झुंझुनूं हाल पशु चिकित्सा अधिकारी बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय झुंझुनूं एवं श्री कमल मान पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह मान जाति जाट उम्र 34 साल निवासी

श्याम नगर वारिसपुरा रोड, रिको जिला झुंझुनूं हाल पशुधन सहायक, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय झुंझुन से आपसी परिचय करवाया। स्वतंत्र गवाह को अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। स्वतंत्र गवाह को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की सहमती प्राप्त की गई व परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री मुकेश व आरोपी श्री रामवतार लाईनमेन के बीच दिनांक 27.11.2024 को हुई बातचीत की डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अलमारी से निकालकर स्वतंत्र गवाह डॉ. विकास लाम्बा व श्री कमल मान व परिवादी श्री मुकेश की उपस्थिति में कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कम्प्युटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता से तीन पेनड्राईव तैयार किये गये। मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड किये जाने वाले पेनड्राईव की हैश वैल्यु पृथक से निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क "A" अंकित किया गया। एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुले रखे गये। डिजीटल टेपरिकार्डर से मैमोरी कार्ड SANDISK 32 जी.बी. को निकालकर उसे उसी की पैकिंग में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को सील्ड कर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क ' A1 '' अंकित किया गया। सील्ड पैकेटों को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। पेनड्राईव को कम्प्युटर एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री रामवतार, लाईनमेन एवं अन्य व्यक्ति की आवाज होने की पहचान की है। कपडे के पैकेट को सील्ड करने में कार्यालय की पीतल की ब्राशसील नम्बर 26 काम में ली गई है। परिवादी श्री मुकेश एवं स्वतंत्र गवाह डॉ. विकास लाम्बा व श्री कमल मान को दिनांक 29.11.2024 को सुबह 8.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किये गये। दिनांक 29-11-2024 को मन सुरेशचंद पुलिस निरीक्षक अवकाश से उपस्थित कार्यालय आया। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य राजकार्य में व्यस्त होने के कारण अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादी का प्रार्थना पत्र मय आधार कार्ड, रनिंग नोट एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता फर्द ट्रांसक्रिप्शन, दो शिल्डशुदा पैकेट, दो खुली पेनड्राईव मन सुरेश चन्द पुलिस निरीक्षक को सुपूर्द कर अग्रीम कार्यवाही हेतु हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 29-11-2024 को परिवादी श्री मुकेश एवं स्वतंत्र गवाह डॉ. विकास लाम्बा व श्री कमल मान उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी श्री मुकेश को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने को कहा तो परिवादी ने 7000/- रूपये भारतीय मुद्रा के पॉच-पॉच सौ रूपये के 14 नोट कुल 7000/- रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर में अंकित करवाकर नोटो पर श्री श्योपाल हैड कानि0 न0 40 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह डॉ. विकास लाम्बा से परिवादी श्री मुकेश की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 7000/- रूपये के नोट श्री श्योपाल हैड कानि0 न0 40 से परिवादी की पहनी हुई जींस पेंट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी श्री मुकेश को हिदायत दी गई तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। श्री श्योपाल हैड कानि0 न0 40, परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवनलिए जाने हेतु काम में लिए जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों व कॉच की शीशियो को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत् समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गई। कार्यालय की डिजीटल टेप रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड को चलाकर देखा गया तो मौमोरी कार्ड में पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड नही होना पाई गई। उक्त डिजीटल टेप मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु परिवादी श्री मुकेश को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। श्री श्योपाल हैड कानि0 न0 40 को कार्यालय में छोड़ा गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40, श्री कुमार सानू कानि. 138 स्वतंत्र गवाह डॉ. विकास लाम्बा एवं श्री कमल मान, श्री महेश हैडकानि. 48, मय सरकारी वाहन तथा प्राईवेट वाहन से श्री इस्माईल खान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री मनोज हैडकानि. 134,श्री राकेश कानि. 243, श्रीमति मंजू महिला कानि. 483, मय चालक श्री सुरेन्द्र कुमार नम्बर 371 ग्राम भोदन, सिंघाना के लिए रवाना हुए। मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40, श्री कुमार सानू कानि. 138 स्वतंत्र गवाह डॉ. विकास लाम्बा एवं श्री कमल मान, श्री महेश हैडकानि. 48, मय सरकारी वाहन तथा प्राईवेट वाहन से श्री इस्माईल खान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री मनोज हैडकानि. 134,श्री राकेश कानि. 243, श्रीमति मंजू महिला कानि. 483, मय चालक श्री सुरेन्द्र कुमार नम्बर 371 कार्यालय से रवाना होकर परिवादी के खेत ग्राम भोदन से पहले सिंघाना के आगे पहूंच रोड पर वाहनों को साईड में खडा किया तथा परिवादी व समस्त टीम को ब्रीफ किया गया। परिवादी ने बताया की मेरे खेत में बने मकान पर चलकर लाईनमेन(हेल्पर-1) को फोन करेंगे तो वो वहीं आ जायेगा रूपये लेने जिस पर मन पुलिस निरीक्षक, श्री रोहिताश्व सिंह

सउनि, श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40, स्वतंत्र गवाहान डॉ. विकास लाम्बा एवं श्री कमल मान एवं परिवादी वहां से रवाना होकर परिवादी के खेत में बने मकान पर पहूंचे एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इस्माईल खान, श्री मनोज हैडकानि., श्री राकेश कानि. 243 श्रीमति मंजु महिला कानि., श्री सुरेन्द्र कुमार चालक 371 मय प्राईवेट वाहन को सिंघाना दिल्ली मुख्य सडक पर सुरक्षार्थ मुकिम किया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी लाईनमेन(हेल्पर-1) श्री रामवतार के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल करवाया एवं परिवादी के मोबाईल का लाउडस्पीकर ऑन कर वार्ता को रिकॉर्ड किया गया। आरोपी लाईनमेन(हेल्पर-1) श्री रामवतार ने परिवादी को 20 मिनट में उसके खेत पर आने की कहीं जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम के परिवादी के खेत में बने मकान के अन्दर आरोपी के इंतजार में मुकिम हुआ। आरोपी श्री रामवतार लाईनमेन (हेल्पर-1) एक मोटरसाईकिल पर परिवादी के खेत पर बने मकान पर आया जिस पर परिवादी श्री मुकेश को डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर आरोपी के पास रिश्वत राशि देने हेतु मुनासिब हिदायत कर भिजवाया। समय करीब 11.42 ए.एम. पर परिवादी ने अपने सर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि आरोपी को देने का तय ईशारा किया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक, श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40, श्री कुमार सानू कानि. 138 परिवादी के घर में बने कमरे से बाहर निकले तो परिवादी ने एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यहीं श्री रामवतार लाईनमेन (हेल्पर-1) है जिन्होने मेरे से अभी अभी खेत में बने टयूबवेल की 80000 रूपये की वीसीआर नही भरने की एवज में 7000 रूपये रिश्वत के लिए है एवं दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई लोअर की सामने की दाहिनी जेब में रख लिये है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री रामावतार को अपना एवं हमरा टीम का परिचय दिया एवं आरोपी का दाहिना हाथ श्री कुमार सानू कानि. 138 ने एवं बायां हाथ श्री ईशाक कानि. 40 ने कलाईयों के उपर से पकडा। मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री रामवतार लाईनमेन (हेल्पर-1) को परिवादी श्री मुकेश से लिये गये 7000 रूपये के बारे में पुछा तो आरोपी श्री रामवतार लाईनमेन (हेल्पर-1) ने बताया कि श्री मुकेश के खेत में बने टयूबवेल का 6100 रूपये के लगभग टयूबवेल का बिल बकाया है जिसके रूपये मैने लिये है इस पर परिवादी श्री मुकेश ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुए कहा कि श्री रामवतार लाईनमेन (हेल्पर-1)झुठ बोल रहा है इसने मेरे से मेरे खेत में बने टयूबवेल की 80000 रूपये की वीसीआर भरने की धमकी देकर 10000 रूपये मांग रहा था जो 7000 रूपये सत्यापन के समय इसने लेने तय किये जो आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे से अभी अभी 7000 रूपये रिश्वत के लेकर अपने पास रखे है। हमारा कोई बिल बकाया नही है। श्री रामवतार से रिश्वत राशि कहा रखी है के बारे में पूछा गया तो बताया कि रुपये मेरी पहनी हुये लोअर के सामने की दाहिनी जेब में रखे हुये है। तत्पश्चात श्री मनोज हैडकानि. के दोनो हाथों एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासो को पानी व साबुन से धुलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया जिसमें से एक गिलास में आरोपी श्री रामवतार लाईनमेन (हेल्पर-1) के दाहिनें हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया व दूसरे गिलास में आरोपी के बाये हाथ के अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिनको दो-दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर सील चिट चस्पा कर क्रमशः मार्क R1 R2 एवं L1 L2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लासों को जलाकर नष्ट किया गया। मन पुलिस निरीक्षक, परिवादी श्री मुकेश के खेत में बने मकान में बिजली की व्यवस्था नही होने एवं सुरक्षा की दृष्टि से आगे की कार्यवाही पुलिस थाना सिंघाना में करने हेतु मय समस्त टीम, आरोपी एवं परिवादी के रवाना हुए। मन पुलिस निरीक्षक, मय समस्त टीम, परिवादी एवं आरोपी के परिवादी के खेत से रवाना होकर पुलिस थाना सिंघाना समय 12-30 पीएम पहूंच आगे की कार्यवाही शुरू की गई। रिश्वत राशि 7,000 रुपये श्री रामवतार लाईनमेन(हेल्पर-1) की पहनी लोअर की सामने की दाहिनी जेब में रखे हुये है को स्वतंत्र गवाह श्री कमल मान से निकलवाये गये तो श्री रामवतार लाईनमेन(हेल्पर-1) के लोअर की दाहिनी जेब मे से 100, 200 एवं 500-500 रुपये के नोट पेश किये। गवाह श्री कमल मान से जेब से बरामद नोटो को गिनवाया गया तो गवाह ने उक्त नोट 500-500 रुपये के 14 नोट एवं 200 रूपये का एक नोट एवं 100-100 रूपये के 6 नोट होना बताया। कुल 7800 रूपये होना बताया। बरामद रिश्वती राशि को गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो गवाहान ने बरामद 500-500 रूपये नोट पूर्व की फर्द पेशकशी के मुताबिक होना पाये गये। बरामद नोटो का विवरण निम्नानुसार हैः- 1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 4DB 395160 2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 7FC 338994 3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 9DT 612032 4. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 9PB 524511 5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 2AL 533863 6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 8EK 287021 7. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 0PP 509427 8. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 1KL 057612 9. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 9DH 784213 10.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 0GK 899101 11. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 3SM 273848 12.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 9BH 087155 13. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 2CQ 000230 14.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 9DK 931155 एवं शेष नोट 200 एवं 100 रूपये के कुल 800 रूपये आरोपी श्री रामवतार ने पूर्व से अपने पास दैनिक खर्चे के होना बताया। रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 14 नोट कुल 7000 रूपये जिनके नम्बर फर्द में अंकित किए गए। बरामदशुदा उपरोक्त 7,000 रूपयों के नोटो

को एक सफेद कागज में सीलवाकर सील्ड मोहर कर नोटों के कागज पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जा एसीबी लिये गये। शेष राशि 800 रूपये वापिस आरोपी श्री रामबतार लाईनमेन (हेल्पर-1) को सुपुर्द किये गये। श्री रामवतार के लिए लोअर (पायजामा) की व्यवस्था करवाकर पहने हुए लोअर को ससम्मान उतरवाया गया। तत्पश्चात श्री कुमार सानू कानि. 138 के दोनो हाथ एवं एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास, कांच की दो शिशिया को पानी व साबुन से धुलवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया। तैयार घोल में आरोपी श्री रामवतार लाईनमेन(हेल्पर-1) के पहने हुए लोअर की सामने की दाहिनी जेब को उल्टवाकर घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसको दो कांच साफ की शिशियो में आधा आधा भरवाकर सील चिट कर क्रमशः मार्क P-1 व P-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा कर कब्जा एसीबी लिया गया एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास को नष्ट करवाया गया। आरोपी लोअर बरंग डार्क ग्रीन को सुखाकर लोअर की सामने की दाहिनी जेब पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवार कर लोअर को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर शिल्ड कर मार्क "B अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी श्री मुकेश के चाचा श्री मदनलाल पुत्र श्री गणपत के खेत खसरा नम्बर 354 ग्राम भोदन, बुहाना, सुरजगढ के विधुत कनेक्शन का बिल जिसके के.नम्बर 120252030235 जो माह मई 2024 का है। परिवादी श्री मुकेश ने मूल बिल पेश किया जिस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी ने उक्त टयूबवेल का अन्तिम बिल जो दिनांक 20.11.2024 को राशि 6076 रूपये ऑनलाईन जमा करवाने की रसीद का स्क्रीनशॉट की छायाप्रति पेश की गई जिस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी श्री मुकेश के खेत में बने टयूबवेल की वीसीआर भरने एवं पेण्डिग बिल के सम्बन्धी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए जेईएन श्री राहुल सैनी कार्यालय देवीपुरा पाउरहाउस जिला झुंझुनूं के मोबाईल नम्बर 9413303401 पर सम्पर्क किया गया जो स्वीच ऑफ था। आरोपी से पुछा तो उसने भी कोई दस्तावेज होना नही बताया। परिवादी ने वीसीआर नही भरने की बात कहकर रिश्वत मांगना बताया। जिस पर कार्यालय सहायक अभियंता, वितरण अजमेर डिस्कॉम, खेतडी नगर से परिवादी श्री मुकेश के चाचा श्री मदन पुत्र गणपत निवासी भोदन बुहाना, सुरजगढ के विधुत कनेक्शन एवं वीसीआर भरने से सम्बन्धित रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। सहायक अभियंता ने जरिये पत्रांक 3612 दिनांक 29.11.2024 से प्रकरण में श्री मदन लाल पुत्र श्री गणपतराम निवासी भोदन की दिनांक 01.08.2024 से दिनांक 29.11.2024 तक कोई वी.सी.आर. नही भरना एवं बिजली बिल के.नम्बर. 120252030235 की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री रामवतार लाईनमेन(हेल्पर-1) की हाथ धुलाई, धोवन की शिशियो को शिल्ड करने की कार्यवाही एवं बरामदगी रिश्वत राशि की विडियोग्राफी मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड में कार्यालय के श्री राकेश कुमार कानि. 243 से रिकार्ड करवाई गई। उक्त मैमोरी कार्ड को मोबाईल से निकालकर लेपटॉप से जोडकर दुसरे मैमोरी कार्ड में डाउनलोड किया गया। डाउनलोड किये मैमोडी कार्ड को खुला रखा गया तथा मूल मैमोरी कार्ड एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड कर मार्क "D" अंकित किया गया। परिवादी श्री मुकेश पुत्र श्री मनीराम जाति गुर्जर उम्र 25 साल निवासी गांव भोदन, जिला झुंझुनूं द्वारा दिनांक 29.11.2024 को आरोपी श्री रामावतार, लाईनमैन(हेल्पर-1) ग्राम भोदन जिला झुंझुनूं कार्यालय सहायक अभियंता, ए.वी.वी.एन.एल. खेतडी नगर, जिला झुंझुनूं से दौराने रिश्वत लेन देन रुबरु हुई वार्ता को परिवादी द्वारा एसीबी के डिजिटल टेप रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया है। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्युटर में लगाकर रिकार्ड वार्तालाप को सुनकर फर्द वार्ता रुपान्तरण श्री ईशाक मोहम्मद कानि0 40 से तैयार करवायी गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। डिजीटल टेपरिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की तीन पेनड्राईव तैयार किये गये। मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड किये जाने वाले पेनड्राईव की हैश वैल्यु पृथक से निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क "C" अंकित किया गया। एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुले रखे गये। डिजीटल टेपरिकार्डर से मैमोरी कार्ड SANDISK 32 जी.बी. को निकालकर उसे उसी की पैकिंग में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को सील्ड कर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क "C1 " अंकित किया गया। सील्ड पैकेटों को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। पेनड्राईव को लेपटॉप एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री रामवतार, लाईनमेन(हेल्पर-1) की आवाज होने की पहचान की है। मन पुलिस निरीक्षक, मय स्वतंत्र गवाह डॉ. विकास लाम्बा, श्री कमल मान एवं परिवादी श्री मुकेश के परिवादी के खेत में जहां आरोपी श्री रामवतार लाईनमेन ने रिश्वत राशि प्राप्त की थी का नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब करने हेतु रवाना हुआ। मन पुलिस निरीक्षक, मय स्वतंत्र गवाह डॉ. विकास लाम्बा, श्री कमल मान एवं परिवादी श्री मुकेश के परिवादी के खेत में जहां आरोपी श्री रामवतार लाईनमेन ने रिश्वत राशि प्राप्त की थी का नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर वापिस पुलिस थाना सिंघाना आया एवं आगे की कार्यवाही शुरू की। श्री रामवतार पुत्र श्री लीलाधर, उम्र 36 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम टिकुपुरा हाल लाईनमैन

(हेल्पर-1)ग्राम भोदन जिला झुंझुनूं कार्यालय सहायक अभियंता, ए.वी.वी.एन.एल. खेतडी नगर, जिला झुंझुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री मुकेश के खेत में बने टयूबवेल की 80000 रूपये वीसीआर भरवाने की धमकी देकर परिवादी से दिनांक 27.11.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 7,000 रुपये रिश्वत की मांग करना व रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 29.11.2024 को परिवादी श्री मुकेश से 7,000 रुपये रिश्वत राशि लेना अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की परिधि में आने पर जूर्म से आगाह कर एवं संवैधानिक अधिकारो से अवगत कराया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी गवाह श्री कमल मान से लिवाई गई तो दैनिक खर्चे के 800 रुपये एवं मोबाईल फोन ऑपो कम्पनी बरंग ग्रे जिसमें दो सीम जीओ नम्बर [redacted] एवं एयरटेल [redacted] की लगी हुई है इसके अलावा कुछ अन्य सामान/दस्तावेज नही पाये गये। 800 रूपये एवं आरोपी का मोबाईल फोन आरोपी श्री रामवतार के बतायेनुसार श्री राधेश्याम ग्राम लाडी का बास को दिये गये। उक्त आरोपी श्री रामावतार की गिरफ्तारी की सूचना उनके बतायेनुसार श्री राधेश्याम ग्राम लाडी का बास को दी गई। परिवादी श्री मुकेश एवं आरोपी श्री रामवतार लाईनमेन के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध रामवतार, लाईनमैन (हेल्पर-1) ग्राम भोदन जिला झुंझुनूं कार्यालय सहायक अभियंता, ए.वी.वी.एन.एल. खेतडी नगर, जिला झुंझुनूं में प्रादर्शो को सील्ड करने में काम में ली गई पीतल की सील नम्बर 26 को कार्यालय के श्री राकेश कुमार कानि 243 से नष्ट कराई जाकर फर्द नमूना शील नष्टीकरण तैयार की गई। अब तक की ट्रेप कार्यावाही से पाया गया कि आरोपी श्री रामावतार गुर्जर पुत्र श्री लीलाधर उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम टिकुपुरा, पोस्ट गुर्जरवास, तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं हॉल लाईनमैन (H -1) कार्यालय सहायक अभियंता (OM) ए.वी.वी.एन.एल खेतडी नगर जिला झुंझुनूं दवारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री मुकेश पुत्र श्री मनीराम, जाति गुर्जर, उम्र 25 साल निवासी ग्राम भोदन, जिला झुंझुनूं से उसके खेत में बने टयूबवेल की 80000 रूपये वीसीआर भरवाने की धमकी देकर परिवादी से दिनांक 27.11.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 7,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 29.11.2024 को परिवादी श्री मुकेश से 7,000 रुपये रिश्वती राशि लेते हुये रंगे हाथ गिरफतार किया गया। आरोपी श्री रामावतार गुर्जर लाईनमैन (H -1) कार्यालय सहायक अभियंता (OM) ए.वी.वी. एन.एल खेतडी नगर जिला झुंझुनूं का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तारीफ में आता है। अत आरोपी श्री रामावतार गुर्जर पुत्र श्री लीलाधर उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम टिकुपुरा, पोस्ट गुर्जरवास, तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं हॉल लाईनमैन (H -1) कार्यालय सहायक अभियंता (OM) ए.वी. वी.एन.एल खेतडी नगर जिला झुंझुनूं के विरूद्व जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु सी.पी.एस एसीबी जयपुर को प्रेषित है। (सुरेश चंद) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं।..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश चंद ,पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,झुन्झुनूं ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामावतार गुर्जर पुत्र श्री लीलाधर उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम टिकुपुरा, पोस्ट गुर्जरवास, तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं हॉल लाईनमैन (H -1) कार्यालय सहायक अभियंता (OM) वी.वी.एन.एल खेतडी नगर जिला झुंझुनूं के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह,उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 441 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1540-43 दिनांक 30-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2, जयपुर। 2-प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झुन्झुनूं। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/11/2024 18:26:10

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/07/1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)